

PRIVATE MEMBERS' BILLS — Contd.**The Protection of Children from Sexual Offences****(Amendment) Bill, 2016 — Contd.***

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will take up further consideration of the Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2016. Dr. Subramanian Swamy, if you have not completed your speech on 24th March, 2017, you can speak now.

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): This is the only issue on which we are in agreement with Dr. Subramanian Swamy.

DR. SUBRAMANIAN SWAMY (Nominated): Mr. Deputy Chairman, Sir, on the last occasion when this matter came up, I gave a broad description of the difficulty that is there in the drafting of the so-called Prevention of Children from Sexual Offences Act which is causing great consternation in the judiciary of our country. There are other misuses which I will make in passing. But, at this moment, my amendment deals only with the question of harassment at this particular Section 19 as drafted is causing to the judiciary in the country, and any other designated Arbitration Committee. May I first read out what the Section says? It is Section 19, Reporting of Offences, in Chapter V, Procedure for Reporting of Cases. This Act, Mr. Deputy Chairman, Sir, is specifically meant to protect the innocent children. Many of the crimes committed against them never get reported because the children are too frightened to say anything and the parents don't want any scandal. So, in order to prevent that, they brought in an Act by which if the girl, who is juvenile, makes an allegation, it is taken as *prima facie* true. It is not a matter for investigation, but is taken as *prima facie* true and the Criminal Procedure Code starts with that presumption and the person against whom the accusation is made is automatically arrested and kept for trial. I am not against that. I think, children need to be protected and it has a deterrent value. But, today, I am on a very special point of a misuse of a particular section. That is Section 19. It says, "Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, any person, including the child, who has apprehension that an offence under this Act is likely to be committed or has knowledge that such an offence has been committed, he shall provide such information to the Special Juvenile Police Unit or the local police and every report given under sub-section (1) shall be ascribed an entry number and recorded in writing, read over to the informant and shall be entered in a book to be kept by the Police Unit." It also has Section 20, which makes it offence not to do so. If you have heard this or have come to know that there is an apprehension of this happening and if you don't report it in

* Further discussion continued from 24th March, 2017.

[Dr. Subramanian Swamy]

the manner which is described here, you can be prosecuted! And, you can lose up to three years on this failure to report.

So, what I, therefore, have put down in my Statement of Objects and Reasons is, “Section 19 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 compels even Court Judges, hearing a divorce case or in a marriage discord case to provide information to police authorities or otherwise face penal punishment under Section 21 of the said Act. This places an unacceptable onus on the public and public Judicial persons on their mere apprehension of a possible offence being committed.” What happens is that the judges sit and hear divorce cases. When the divorce case takes place, the wife can make an allegation in order to further her case and make her case for divorce — or the husband in other case, the other party also can do the same — to make it credible that they deserve a divorce or that the court should grant them divorce. For that they make allegations saying, “I came into my home from my office work and I saw my husband was molesting my daughter.” That the judge hears and, according to this Act, the judge has to go to the police station herself and make a report in the police station; otherwise, she will be getting an arrest warrant from the police station. What happens is that the clients are using this to terrify the judges and I find this in the High Courts; in fact, one High Court Chief Justice told me that judges are not willing to sit in divorce cases any more because of this fear. The purpose of the Act could not be to involve people who have been designated by the Constitution to sit in judgment of proceedings. In that proceedings, if some allegation is made, even without giving a proof, that is sufficient for compelling them to do so. I am seeking an Amendment, beginning by seeking a deletion of this Section. Although that may be a drastic way, but let the Government come forward with a new Section 19 in which those who have been designated as Judges or for arbitration or designated for conciliation or whatever, that whatever information they get about an allegation of a crime that is supposed to have been committed on a small child or is likely to be committed, they are not compelled to go to the police station and make a report. Then subsequently, when the police investigation goes on, to appear before the police and when the matter is registered as a case in the courts, go on appear as a witness, subject to cross-examination. This is unnecessary ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Is there such an instance?

DR. SUBRAMANIAN SWAMY: Oh, yes, there are plenty. There are a large number of instances that I quoted last time. There are 21 cases which are spread over last four years since this Act came into being. I think in 2013 the Act came

in. The Government has them. The Judges have written to it. The Chief Justice has written to it. In fact, when I was arguing another case, one of the Judges said in open court, "You are a parliamentarian, why don't you bring this Amendment?" That is how I did the study and came and brought this. Therefore, I am only saying that I do agree that we need a strict law by which people feel deterrent in touching women or small children and for that I am totally in favour of this Act. However, this particular Section requires to be redrafted in such a way that higher functionaries such as Judges are not compelled to act as ordinary witnesses in a matter in which they are compelled to hear the case. They are not part of the family or they happen to be incidentally watching something happening but they are obligated to hear a case. In that course, all kinds of allegations are made and then they are made victims of that. So, if the Government decides to do that, that will be a very good thing and it will be widely welcomed. If they want, they can even check, but, I think this House should indeed accept this Amendment that I have placed and send a message to the Government that they are under obligation to immediately act in the matter. This is my main submission in this and I urge the House to vote for this when the matter comes up for vote.

The question was proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ananda Bhaskar Rapolu. You need not fight with me to get this time. Usually, you fight with me for time. Now it is your time, speak. ...*(Interruptions)*... Okay.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Telangana): Respected Deputy Chairman, the Member who moved this Bill in private nature to attract the attention of the Union Government is such a renowned person, I think, in the times to come, he will also face difficulty in judging himself. His globally renowned litigant attitude, within the nation and outside, is par excellence. He was friend to whom, enemy to whom, I think, he will be in continuity to have the confusion in evaluating his own stand. I have reverence for his knowledge. I salute his understanding and capacity to...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you talking about the Bill or about him?

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: The genesis of the Bill has to be explained, then only the essence of the Bill can be properly understood.

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (West Bengal): Is it appreciation or otherwise? ...*(Interruptions)*...

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: There is reverence. ...*(Interruptions)*.. The greatest tendency of one person having an approach in *dharmik bhavna*, in

[Shri Ananda Bhaskar Rapolu]

Vedic bhavna, ninda is also *stuti*. Bhagwan Raman Maharishi, Dr. Swamyji made out to reach the ultimate, *stuti* is the greatest way to follow with. I appreciate you and ours is such a society 'बाल वाक्य, ब्रह्म वाक्य'. We take the sweet words of our children as if those are coming from the Almighty. Just now we have concluded the चैत्र नवरात्रि. On the concluding day of चैत्र नवरात्रि, it is a habit, particularly in Northern India, to touch the feet of children under eight or nine years of age and worship them as if they are the स्वरूप of Sri Mata. And, in the South, we treat children in a divine way, 'ओम् कात्यायनाय विद्महे कन्यकुमारि धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्'. In that spirit, we used to look at them and pray that there should not be any harm to our children within our society. But times have changed. The changing of the times and their relevance into the stipulations and acts have come to fore from the United Kingdom. Way back in 1908 itself, they had come out with an approach to protect the child. By 1933, it took the shape of Child Protection Act, 1933. But, for the latest requirements, our United Nation's suggestions or conventions are before us and the federal law from United States is a ready reference of how the modern society shall treat children and in that context India is always standing far ahead to guide the global nations. The Juvenile Justice Act, the Child Protection Act and the latest 2012 Act through which we look at our children, their well-being and their safety is not going to be sufficient in the expanding complications of human treacherous tendencies. This has prompted me to speak on this. World over, at several places, continuous international seminar, symposia and conferences are going on about child trafficking and the abuses being meted out upon the children. We were always standing up to be a model. We have given good models of law. We have also given great programmes. We have institutionalized the National Commission for Protection of Child Rights. We are doing it continuously, but there are growing complications. Just yesterday, the Union Minister of State for Women and Child Welfare stated about 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'. It is just a campaign programme. It enthuses how to take care of the children. With just a campaign or with just a slogan, it is not going to be sufficient. We have our own specifications. We are worried about child labour; still child labour is there. Certain stringent provisions are there to contain the slavery of children, but even then there are certain clusters where, in the daylight, we can see the pathetic condition meted out to our children. We also have to have a look at our consideration towards the criminal responsibility of the children. Here, the society shall play a larger role, for which the Government has to provide encouragement and support. Let us not excessively burden our children with the criminal responsibility. Even in advanced nations, the age of criminal responsibility is just 7 years or 8 years. But, under the conditions prevailing within the Indian society both, the growth or health of the children and the environment available to them to expand their

3.00 P.M.

knowledge, cannot give them a proper stamina and strength to have a responsibility. The poverty, socio-economic poverty, and the depth of standard of the livelihood are having direct relevance, for which the social security concerns and measures by the Governments, either Central or State, will have a greater role. But, these days, though the Union Government has certain national programmes to provide support, we are not having sufficient resources to strengthen and to fully implement them. In this backdrop, in this 2012 Act, — responsibility of the judges, which, in turn, is almost leading to harassment to the children — the urge for omission of Section 19 from the Protection of Children from Sexual Offences Act is worth considering. But why piecemeal? Time and again, if a complication comes, a surgical strike is not enough. We should have a comprehensive approach. We should look at it in totality, so that there is an institutionalised mechanism to refresh our ideas about the children, their protection, the available enactments and necessities of those updates. Not only the National Commission for the Child Rights, but the National Commission for Law will also support us. There are several pronouncements, not only from the Supreme Court, but also from various High Courts to guide us. On this occasion, keeping the suggestions of Dr. Subramanian Swamy in view, I plead the Union Government to look at it comprehensively, so as to protect our children through a proper enactment, with the up-to-date support mechanism and also the institutionalised support. Besides, let the Beti Bachao, Beti Padoos not be confined to a slogan or a campaign, let there be a concrete programme of educational advancement and also of employment-wise emancipation. Let the children be empowered in their own environment. This is my urge and submission to the Union Government. Thank you.

श्री बसावाराज पाटिल (कर्णाटक): मान्यवर उपसभापति जी, भारत सरकार, लोक सभा और राज्य सभा में जो बिल लाई थी, जो पास होकर एक कानून बन गया, जो कम आयु के बच्चों पर होने वाले अत्याचार से संबंधित था, वह महत्वपूर्ण बिल पास हो गया है। यह बिल पास होकर कानून तो बन गया, लेकिन एक छोटा-सा lacunae रह गया, जिसके कारण कई जजेज अपने आपको मुश्किल में पाते हैं कि हम इससे कैसे बचें, क्योंकि जब कोई भी पहली बार उनकी जानकारी में जाता है, तो जजेज को ही खुद पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। जो जज स्वयं जजमेंट देने वाले हों, फिर वही पुलिस स्टेशन जाएँगे और वही आगे कोर्ट में गवाह बनेंगे, यह ठीक बात नहीं है। इसलिए 2012 के इस बिल के 19वें सैक्शन में जो दोष है, उसमें बदलाव लाने की दृष्टि से आदरणीय सुब्रह्मण्यम स्वामी जी ने जो सुझाव दिए हैं, मैं समझता हूँ कि यह सरकार इस वास्तविक समस्या को समझेगी और उसमें आवश्यक परिवर्तन करेगी, ताकि न्यायाधीशों को जो एक विचित्र स्थिति में रहना पड़ता है, उससे उनको बचाने का काम किया जा सके और इस दिशा में उनके ऊपर जो भी इस प्रकार के केस होते हैं, उनका दुरुपयोग होने से वे बच सकें। बाकी की सब चीजें ठीक हैं, लेकिन केवल जजेज को इसके साथ जोड़ने की जो स्थिति है, वह एक अनहोनी लगती है और अच्छा नहीं लगता है। जब उन्होंने स्वयं बताया, ऐसे लगभग 21-21 केस

[श्री बसावाराज पाटिल]

अपने देश में घटे हैं। स्वयं जज अपनी असहायता के बारे में कहते हैं कि आप लोग पार्लियामेंट के मेंबर हैं, ऐसे कैसे बनाते हैं? इस बात को ध्यान में रखते हुए आदरणीय सुब्रह्मण्यम स्वामी जी का जो सुझाव है, जजों को इस चीज से मुक्त कराते हुए आवश्यक परिवर्तन लाएं। इन अपराधियों में जो भी अपराधी होता है, उसके ऊपर जो सजा है या बाकी जो कुछ भी है, वह ठीक है, लेकिन इसके आधार पर जजेज को इसके अंदर लाकर एक गवाह के रूप में उन्हें प्रस्तुत करना ठीक नहीं होगा और इसके लिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि इन्हें बचाकर रखें और उनका जो अमेंडमेंट है, उनकी जो मांग है, उसे स्वीकार करें, यह मैं अपेक्षा करता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Rajeev Chandrasekhar; not present.
Shrimati Chhaya Verma.

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। इस बहुत ही चिंतनीय और बहुत अच्छे विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। सर, मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश से आती हूं। लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ मतलब जंगल, छत्तीसगढ़ मतलब आदिवासी, छत्तीसगढ़ मतलब वन, फॉरेस्ट से घिरा हुआ प्रदेश है और आदिवासियों का प्रदेश है। छत्तीसगढ़ में आधा क्षेत्र आदिवासियों से घिरा हुआ है। आदिवासियों का समुचित विकास नहीं हुआ है। वहां की बच्चियां, वहां के बालक ज्ञान से कोसों दूर हैं। जहां भी स्कूल हैं, वहां पर स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं है, अगर कैसे भी नदी पार करके स्कूल चले जाते हैं तो स्कूल में अध्यापक नहीं है, अध्यापक हैं तो पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है, स्कूल में बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत ही पिछड़ा इलाका है। वहां पर बच्चों के ऊपर अपराध और वहां के जो अपराध के आंकड़े हैं, उसको मैं आपको बताना चाहूंगी कि पूरे भारत में बालकों के अपराध में छत्तीसगढ़ का आठवां स्थान है। यहां तक कि कोलकाता और नागपुर से भी सर्वाधिक छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल में बालकों के साथ, बच्चियों के साथ अपराध होते हैं। 2012 की एक घटना है। झचलियामारी एक जगह है, वहां पर एक आदिवासी आश्रम है। वहां पर पहली से लेकर पांचवीं तक की बच्चियां उस आश्रम में रहती थीं। उस आश्रम में दूध देने वाला, उस आश्रम का चपरासी, उस आश्रम का वार्डन लगातार तीन साल तक वहां की बच्चियों के साथ बलात्कार करते रहे। जब उसमें से एक बच्ची बीमार पड़ी तो उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गए। वहां पता चला कि वह बच्ची गर्भवती थी। इस प्रकार उस आश्रम में 13 बच्चियां गर्भवती पाई गईं तथा वह स्कूल ऐसे ही चल रहा था। जानकारी होने के दो साल बाद उसमें केस दर्ज हुआ। बच्ची के मां-बाप अपनी उस बच्ची को छात्रावास से निकलवाकर ले गए और छात्रावास से जाने के बाद उस बच्ची की मौत हो गई। 13 साल की वह बच्ची गर्भवती होने के बाद कितने दिन जिन्दा रहती? कुछ दिन संघर्ष किया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। दो साल तक वहां पर यह घटनाक्रम चलता रहा और उसके पश्चात जब अपराध दर्ज हुआ तो उसमें से दो लोगों को जेल की सजा हुई। वहां की वार्डन एक महिला थी, उसे सजा हुई, वहां के दूध वाले और एक अन्य व्यक्ति को सजा हुई — कुल तीन व्यक्तियों को सजा हुई। उसके बाद आज भी वह छात्रावास चल रहा है, वह धंधा आज भी वहां पर फल-फूल रहा है, लेकिन आज तक उस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। सर, वह आदिवासी इलाका है। अभी पिछले दिनों ही आठ साल के एक बच्चे की बुआ की मृत्यु हो गयी, तो वह अपनी मौसी के घर बताने गया कि बुआ की मृत्यु

हो गयी है। वह इलाका पूरा नक्सलियों से घिरा हुआ इलाका है। रात को जब वह अपनी मौसी के घर बताने जा रहा था तो नक्सलियों ने सोचा कि यह पुलिस का मुखबिर है, ऐसा समझकर उन्होंने उसकी और उसके भाई, दोनों की हत्या कर दी। सर, हमारे प्रदेश में इतना अधिक डर और भय व्याप्त है। वहां पर एक ऐसी जगह भी है, जहां पर अगर किसी की बच्ची के साथ रेप हो जाता है तो उसके मां-बाप थाने में अपराध का मामला दर्ज कराने नहीं जाते हैं। जब उनसे पूछते हैं कि आपने अपराध का मामला दर्ज क्यों नहीं कराया तो उनका कहना है कि अगर हम थाने में अपराध दर्ज करेंगे तो हमारी बच्ची को थानेदार वहां पर आठ-दस दिन तक रख लेगा, महीनों भी रख लेगा और उसके साथ लगातार रेप करता रहेगा, इसलिए हम डर के मारे, भय के मारे थाने में भी अपराध दर्ज कराने नहीं जाते। सर, बच्ची तो बहुत छोटी रहती है, उसे तो कुछ ज्ञान नहीं होता है, लेकिन अगर हमारे प्रदेश में ऐसी स्थिति रहेगी, तो बच्चों का विकास कैसे हो सकेगा? हम कहते हैं कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं - "बच्चे मन के सच्चे" — बच्चे अपने मां-बाप को बताते हैं, लेकिन मां-बाप देश, दुनिया और समाज के भय से उस अपराध को छुपाने की कोशिश करते हैं और फिर उनका वही हश्र होता है।

सर, बस्तर में सुकमा नामक एक जगह है, वहां पर 15 लड़कियों के साथ तीन साल तक लगातार बलात्कार होता रहा, लेकिन उसका भी कुछ पता नहीं चला, उनके अपराधी का पता नहीं चला और उनके परिवार वाले उन लड़कियों को छात्रावास से, स्कूल से निकालकर अपने घर ले आए। यह हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति है। छत्तीसगढ़ का आदिवासी अंचल तो है ही, जो नगरीय निकाय क्षेत्र है, जैसे भिलाई है, वहां पर पूरे प्रदेश के लोग निवास करते हैं, वहां पर बीएसपी का बड़ा कारखाना है, वहां पर बहुत सारे समाज के लोग निवासरत हैं — वहां पर भी आए दिन बच्चियों के साथ हत्या और बलात्कार के मामले होते हैं।

सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका एक कारण यह भी है कि हमारे यहां नवयुवकों को रोजगार नहीं मिलता है। रोजगार न मिलने के कारण वे लोग गलत धंधों में लग जाते हैं। वे लड़कियों का अपहरण करते हैं और अपहरण करने के बाद फिरौती मांगते हैं। उसके कारण भी कई बार बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ बलात्कार और उनकी हत्या के मामले होते हैं जो हमें आए दिन समाचारों के माध्यम से देखने और सुनने को मिलते हैं। सर, इस संबंध में जो भी नियम और कानून हैं, वे नियम और कानून कड़े होने चाहिए, वरना यह स्थिति इसी तरह से बनी रहेगी। अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ में देखें तो 11,000 लड़कियां अभी गायब हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, मैं यह बात किसी समाचार के माध्यम से नहीं बता रही हूं, न ही किसी के कहने से बता रही हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यह decision दिया है कि छत्तीसगढ़ से 11,000 लड़कियां गायब हैं, उनका आज तक पता नहीं है, आज तक उनकी कोई खोजबीन नहीं हुई है, कहीं कोई खोज-खबर नहीं है। मैं इस सदन के माध्यम से बताना चाहती हूं कि अब लड़कियों को स्कूल भेजने में भी डर लगता है और जब लड़कियां स्कूल जाती हैं तो उनके मां-बाप चिंता करते रहते हैं कि शाम तक हमारी बच्ची घर में कुशल वापस आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। यह चिंता आदिवासी अंचल में, छत्तीसगढ़ के आधे इलाके में बनी रहती है। अभी यह जो बिल लाया गया है, मैं इस बिल को लाने वाले अपने माननीय साथी का समर्थन करती हूं और सदन के माध्यम से निवेदन करती हूं कि बाल अपराध को रोकने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Chhaya Verma, you said that 11,000 girls are missing and there is no inquiry, no action!

SHRIMATI CHHAYA VERMA: Yes, Sir.

SHRI B. K. HARIPRASAD (Karnataka): Sir, the Supreme Court had passed this stricture against the State Government for these 11,000 missing girls.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: 11,000 girls are missing! Is that a fact?

SHRIMATI CHHAYA VERMA: Yes, Sir. यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है।

SHRI BASAWARAJ PATIL: Since how many years?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: My God! I would request the Minister to write to the Chief Minister there, saying that this issue has been brought to this House and the hon. Member has mentioned that 11,000 girls are missing and no proper action has been taken. The hon. Member says, even the Supreme Court has passed strictures about the same. You must write to the Chief Minister to take proper action. This should be noted. I think this is a very serious matter. I cannot believe this! How can it happen?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा राज): महोदय, मैं वहां के मुख्य मंत्री को इस संबंध में अवगत कराऊंगी और माननीय सदस्या से मिलकर सारी रिपोर्ट भी लूंगी। मैं इस संबंध में अवश्य कार्यवाही के लिए कहूंगी।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान): सर, 11,000 लड़कियां गायब हैं।

श्री उपसभापति: इतनी लड़कियां कैसे missing हो सकती हैं?

SHRI RAMVILAS PASWAN: She also mentioned the name of the hostel where every day rape incident is taking place.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then strong action should be taken. Such a hostel should be closed. ...(*Interruptions*)...

श्री रामकुमार वर्मा (राजस्थान): सम्माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, मैं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2016 के संबंध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह 2012 का एक एक्ट है। सम्माननीय स्वामी जी इस को अच्छी तरह से देख कर इसमें संशोधन का प्रस्ताव लाए हैं। जिस समय यह एक्ट बना, इसकी भावना अच्छी थी। उस समय सोचा था कि देश में किस तरह से बालकों के साथ लैंगिक अपराध होता है, उनका शोषण होता है, उनके साथ ज्यादाती होती है, उसको देखकर 2012 में यह एक्ट बना। चूंकि सम्माननीय स्वामी जी बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं, मैं कहूँ कि लॉ के संबंध में माने हुए वकील भी हैं और यहां पर सांसद के रूप में उनका बहुत rich experience है, उन्होंने देखा कि इस एक्ट के तहत बालकों-बालिकाओं को प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए उसमें अमेंडमेंट के लिए आपने यह बिल प्रस्तुत किया है।

उपसभापति जी, जैसा कि माननीय सांसदों ने, हमारे सत्ता पक्ष के और विपक्ष के सदस्यों ने जिसमें श्रीमती छाया वर्मा और आनंद भास्कर रापोलू जी शामिल हैं, इन्होंने सही बताया है कि भारत देश के अंदर, भारतीय समाज के अंदर बालकों को बहुत महत्व दिया जाता है। जब बालक-बालिकाएं पैदा होते हैं, तो उनको लोग कहते हैं कि घर में चिराग आ गया और जब वे पैदा होते हैं, तो वे विकारों से रहित होते हैं, वे भगवान का रूप होते हैं। जब वे संसार में आते हैं, तो बिल्कुल उनके दिमाग में नहीं होता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। इस तरह से बालक-बालिकाओं को हम भगवान का रूप मानते हैं और हमारी संस्कृति भी यही कहती है। समाज में कुछ ऐसे विकृत दिमाग के लोग होते हैं, यदि मैं कहूं कि वे पशुवृत्ति से भी ज्यादा गिरे हुए होते हैं, उनकी मानसिक स्थिति ठीक है या नहीं है, लेकिन उनकी मानसिक विकृति बहुत ज्यादा होती है। इसी के कारण इस भारत देश के अंदर मानवता, करुणा, सहिष्णुता, दया और सभी को सम्मान देने के जो भाव होते हैं, उसमें भी जब इस तरह के अपराध होते हैं, तो निश्चित है कि न केवल भारत देश में बल्कि विश्व में भी कहीं-कहीं हमें सामाजिक मूल्यों में गिरावट की वजह से हमें नीचा देखना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी संसद द्वारा 2012 में जो बिल पास किया गया, उसके प्रावधान बहुत अच्छे हैं, इसमें दो राय नहीं है। ऐसे बालक-बालिकाएं जिनका कोई दोष नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों का दोष है, जो न सामाजिक व्यवस्था को समझते हैं, न रिश्तों को समझते हैं, न देश की गरिमा को समझते हैं, बल्कि जो किन्हीं कारणों से आपराधिक दुनिया में रहते हुए, उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, वे मानवीय मूल्यों को खत्म करने पर उतारू होकर इस तरह के अपराध बालक-बालिकाओं के साथ करते हैं।

श्रीमती छाया वर्मा जी ने जो जानकारी छत्तीसगढ़ की बालिकाओं के बारे में दी है, वह हमारे लिए आश्चर्यचकित कर देने वाली जानकारी है। अगर हम प्रत्येक स्टेट की बात को देखें, आजादी के बाद भी और 2012 में जब ऐक्ट पास हुआ, तब तक भी और इस कानून के बनने के बावजूद भी हम देखते हैं और अखबारों के माध्यम से पढ़ते हैं कि 11,000 बालिकाएं, बच्चियां अगर किसी छोटे से स्टेट से लापता हो जाती हैं, जब ऐसी हालत छोटी स्टेट की है, तो बड़ी स्टेट की हालत क्या होगी? यह हमारे लिए निश्चय ही सोचने व चिंता करने का विषय है कि 2012 का कानून बनने के बाद भी, आज इस गंभीर अपराध पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। यह न केवल देश के सांसदों बल्कि नैतिक और मानवीय दृष्टिकोण रखने वाले लोगों को सोचने के लिए बाध्य करता है कि देश में यह क्या हो रहा है? कानून के द्वारा सख्ती किए जाने के बावजूद भी लोगों की सोच में बदलाव क्यों नहीं हुआ है? मेरा मानना है कि आज व्यक्ति भौतिकवादी युग में आपाधापी में अपने रिश्ते-नाते भूल गया है। वह जब थोड़े से समय में पैसे वाला बन जाता है, तो बहुत से अपराध भी करने लगता है और जब अपराधी प्रवृत्ति से ऐसे व्यक्तियों के पास बहुत रुपया आ जाता है, चाहे वह भ्रष्टाचार के माध्यम से आए या काले धन के रूप में आए, तो उन व्यक्तियों और उनकी संतानों में से कुछ व्यक्ति इस तरह की रुग्ण मानसिकता और विकारग्रस्त हो जाते हैं, जिस से समाज में बालक-बालिकाओं के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। महोदय, जब बालक-बालिकाओं के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो हमें इस बात का भी दुख होता है कि समाज में दोहरे मापदंड देखने को मिलते हैं। हम तो बालकों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब किसी बालिका के साथ इस तरह की घटना होती है, तो समाज के समझदार लोग व बालिका के माता-पिता भी कई बार सोचते हैं कि मेरी बेटी का ब्याह नहीं होगा, मैं अपमानित और लिज्जत होऊंगा और मेरी बेटी का भविष्य खराब हो जाएगा। यह हमारे पुरुष प्रधान समाज

[श्री रामकुमार वर्मा]

की विकृत मानसिकता भी है। अगर पुरुष अपराध करता है, तो उस के लिए ज्यादा कुछ नहीं सोचा जाता है। उसे ignore कर दिया जाता है कि पुरुष जाति के लोग हैं, इनकी यह प्रवृत्ति थी, लेकिन जब बालक, बालिका या महिला के साथ इस तरह की घटना होती है, तो उसे दूसरे ढंग से सोचा जाता है। हालांकि हम समाज में महिला को देवी, दुर्गा या लक्ष्मी के रूप में मानते हैं और इसी तरह बालिका को भी हम कन्या और सब से बड़े धन के रूप में मानते हैं, लेकिन जब इस तरह की घटना हो जाती है, तो वे सिद्धांत अलग रख दिए जाते हैं और पुरुष प्रधान समाज के लोग यह नहीं सोचते कि इस बालक या बालिका के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है बल्कि वे उस अपराध को दबाने की कोशिश करते हैं। इस के पीछे हमारी मानसिक कमजोरी रहती है। हमारे विचारों में आज भी इतनी मजबूती और दृढ़ता नहीं आयी है कि हम ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कुछ तो करें। इसी कारण यह कानून तो बना है, लेकिन इन्हें रोकने के लिए हमारे सम्माननीय सांसद स्वामी जी ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। महोदय, यह भी देखने में आया है कि ऐसे केसेज में जब बच्चा पैदा होता है, तो वे लोग उस चीज को कहने में hesitate करते हैं, वे उस चीज को नहीं बता पाते हैं। अब अगर न्यायाधीशों के लिए इस तरह की बाध्यता होगी, तो मैं समझता हूँ कि वह कानून प्रभावी नहीं होगा।

महोदय, मेरा कहना यही है कि स्वामी जी ने जो यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, यह उचित है और समय को देखते हुए इस तरह की बाध्यता को हटा देना जरूरी है। मैं निवेदन करूंगा कि स्वामी जी के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए।

श्री उपसभापति: धन्यवाद, वर्मा जी। श्रीमती विप्लव ठाकुर।

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश): उपसभापति जी, मैं स्वामी जी द्वारा लाए गए प्रस्ताव के समर्थन में खड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हमने वर्ष 2012 में कानून बनाया और आप उस में संशोधन का प्रस्ताव लाए हैं, लेकिन इस में सब से ज्यादा कमजोर कड़ी इस कानून के implementation की है। हम कितने भी कानून बना लें, लेकिन अगर कड़ाई से उनका implementation नहीं होगा, तो इन अपराधों को नहीं रोक पाएंगे। महोदय, जैसा कि छाया जी ने कहा कि जब तक स्टेट्स इस बारे में interest नहीं लेंगी, स्टेट्स जागरूक नहीं होंगी, तब तक हम इन्हें नहीं रोक पाएंगे। महोदय, इस संबंध में सब से बड़ी बात यह है कि सब से ज्यादा पुलिस वालों का mindset ठीक किया जाना बहुत जरूरी है। आज भी हमारी पुलिस फोर्स इस बात के लिए तैयार ही नहीं है। वह आज भी उसी रवैये पर, उसी धारा और उसी धुरी पर चल रही है। इसीलिए डर के मारे मां-बाप नहीं जा पाते हैं। पुलिस जनता में वह confidence नहीं ला पा रही है। हमें सबसे पहले पुलिस को इसके लिए तैयार करना है, उसका माइन्ड चेंज करना है, उसको ट्रेनिंग देनी है, इसलिए उनके लिए काउंसलिंग करनी बहुत जरूरी है। जब तक हम यह नहीं करेंगे, ये अपराध होते रहेंगे और बच्चों के साथ ज्यादाती होती रहेगी। उनको शिकार बनाया जाता रहेगा और वे कुछ कह नहीं पाएंगे। आज हमारे यहां इतनी ज्यादा human trafficking हो रही है, इसकी क्या वजह है, यह क्यों हो रही है? आप देखिए, चाहे किसी लड़की के साथ trafficking होती है, चाहे किसी लड़के के साथ trafficking होती है और चाहे लेबर के नाम पर trafficking होती है, अब तो यहां तक होता है कि ऑर्गन्स बदलने के लिए भी trafficking होती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह गरीबी है। इसके साथ-साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें

जो ढील है, उसके लिए कौन कुसूरवार है, इसको भी देखना है। हमें अपने आपको भी परखना है कि हम क्या करते हैं, हमारी interference कितनी होती है, ये गैंग्स कौन हैं? खासकर जो गरीब मां-बाप हैं, जिनका माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, वह इलाका गरीबी से प्रभावित है। अमीरों के घरों में भी ऐसी बातें होती हैं। हमारे रिश्तेदार बच्चों के साथ ऐसी बातें कर जाते हैं, जिनके लिए कोई जवाब नहीं दे पाता है। अभी एक फिल्म कहानी नं. 2 आई थी, जिसमें छोटी बच्ची का चाचा होता है- तो ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए implementation जरूरी है और यह implementation सख्ती से होना चाहिए, तभी हम इन चीजों को रोक पाएंगे। एक भय होना चाहिए, एक डर होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। आज भारत के बच्चों में जितना ज्यादा अपराध बढ़ रहा है, जब आप देखते हैं कि किस तरह से वे सड़कों पर एक टांग से भीख मांग रहे होते हैं। उनकी टांग ऐसे ही नहीं टूट जाती है, वह तोड़ी जाती है। लड़कियों को सड़कों पर भीख मांगने के लिए भेजा जाता है। वे अपनी मर्जी से नहीं आती हैं, उनको जबदस्ती भेजा जाता है। हम इसकी खोज करने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि वे कौन हैं, जो यह सब कुछ कर रहे हैं। सिर्फ कानून बनाने से बात नहीं बनेगी। मेरा यह कहना है कि implementation बहुत जरूरी है। हमें इसके लिए सरकारी तंत्र को जागरूक बनाना होगा, हमें उसको निर्भय बनाना होगा। जो लोग उनको संरक्षण देते हैं, protection देते हैं, उन तक पहुंचना होगा। जब तक हम यह नहीं करेंगे, यह बात खत्म नहीं हो सकती है और न ही इसका कहीं कोई अंत हो सकता है। इसलिए मैं यह कहूंगी कि हमें एक तो पुलिस को जागरूक करना चाहिए, उनकी काउंसिलिंग होनी चाहिए, उनको इन बातों के लिए तैयार होना चाहिए, तभी हम इस बात को खत्म कर सकेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री महेश पोद्दार (झारखंड): उपसभापति महोदय, अभी जब छाया वर्मा जी छत्तीसगढ़ के बारे में बोल रही थीं और वहां की महिलाओं व बालिकाओं की स्थिति के बारे में बता रही थीं, तो मेरा राज्य झारखंड अगल-बगल में ही है। उसमें और छत्तीसगढ़ में बहुत सारी समानताएं हैं।

महोदय, मैं कुछ अच्छी बातें भी शेयर करना चाहता हूं। मेरे ख्याल से आप भी agree करेंगी कि अभी के सीजन में अचानक आप झारखंड या छत्तीसगढ़ के पहाड़ों के बीचोंबीच जाएंगे, तो आपको रात में दूर-दूर तक आग जलने का एक दृश्य दिखाई देगा। यह आग पत्तों से जलाई जाती है और आग की गर्मी से महुआ ऊपर से गिरता है। रात में महिलाएं व लड़कियां जंगलों में अकेली जाती हैं और वे महुआ चुनकर लाती हैं, जो उनकी जीविका का एक साधन है। महोदय, इसी समाज में आज जब हम ये कुरीतियां देख रहे हैं, तो उसी आदिवासी समाज की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सदियों से उनकी महिलाएं रात में अकेली जंगल में जाकर महुआ चुनने का काम करती हैं और दूर-दराज के स्कूलों में बच्चियां पढ़ने जाती हैं। जयराम रमेश जी छत्तीसगढ़ और झारखंड के जंगलों में बहुत घूमे हुए हैं, मेरे ख्याल से वे भी इससे सहमत होंगे। वहां पर आज भी स्त्रियों और बच्चियों के सम्मान में बहुत कुछ किया जाता है। लेकिन इसका मतलब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वहां पर बदमाशी नहीं हो रही है, वह हो रही है और वह बदमाशी बंद होनी चाहिए।

महोदय, आज, जब मैं इस कानून के बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे कुछ नई चीजें मालूम पड़ीं। क्योंकि मैंने भी एक-दो शादी-ब्याह के मामलों में पंचायती की है, मैंने भी arbitration किया है — जैसा अक्सर होता है कि जब शादी-ब्याह के मामले आते हैं, तो एक-दूसरे पर अत्याचार

[श्री महेश पोद्दार]

की चर्चा में यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह पंच के सामने सारी बातें बहुत खुलकर बोले। मेरे सामने कई मामले ऐसे भी हुए हैं, जब मुझे भी ज्ञान हुआ है। यह कानून पढ़ने के बाद मुझे अहसास हो रहा है कि शायद पुलिस थाने में जाकर मैंने कानून का कोई उल्लंघन तो नहीं किया? मुझे यह सोचना पड़ रहा है। यदि किसी जज के सामने किसी बच्चे का अपराध आ जाए और उसे जाकर एफ.आई.आर. करनी पड़े, लेकिन वह नहीं करता है, तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? हम उसके बारे में, जो कानून का पालन करने वाला है, इसकी कल्पना कर सकते हैं।

महोदय, हम जब arbitration के लिए किसी के पास जाते हैं, तो हम इसलिए जाते हैं, ताकि मुकदमेबाजी से बचें, लेकिन जब arbitrator खुद जाकर मुकदमा दायर करेगा, तो तब तो वैसी बात हो गई, "चौबे गए छब्बे बनने, दुबे बनकर आ गए।" एक मुकदमे से बचने के लिए उसके ऊपर चार मुकदमे लाद दिए गए। उसमें जज साहब खुद पार्टी बन गए, खुद इनफॉर्मर बन गए। यह एक विसंगति है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि बहुत सारे विद्वान वकील लोग मिलकर कानून बनाते हैं और उसी कानून को अधिकांश विद्वान वकील लोग इस हाउस में घंटो-घंटों की चर्चा में बैठकर पास करते हैं। बाकी लोगों को तो ऊपरी-ऊपरी मौका मिलता है, असली बहस तो वही लोग करते हैं। इतनी बहस करने के बाद भी जब इस तरह की भूल हो जाए, तब हम अंग्रेजों को भी ब्लेम नहीं कर सकते कि वे ऐसा नियम बनाकर, गलती करके चले गए, क्योंकि हम लोगों ने इसको खुद 2012 में बनाया है। मैं समझता हूँ कि काफी बड़े, विद्वान लोग यहां, इस हाउस में भी होंगे और उस हाउस में भी होंगे, who would be party to framing the rules, ऐसी गलती हुई कैसे? अगर हुई, तो फिर डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी जैसे आदमी को — यह भी एक आश्चर्य की बात है कि जज साहब ने, जिन्होंने भी साहब को बताया, उन्होंने भी किसी और को, साधारण प्राणी को नहीं चुना, बल्कि डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी साहब को चुना। जब से मुझे थोड़ा-बहुत राजीनितक ज्ञान हुआ है, तब से मैं उनको पढ़ता आया हूँ और देखता आया हूँ कि वे थोड़ा लीक से अलग चलकर काम करते हैं। उन्होंने इमरजेंसी के दौरान भी लीक से हटकर बहुत-कुछ काम किए थे। वे उसके बाद भी थोड़ा लीक से हटकर, पार्टी लाइन से हटकर, कुछ-कुछ करते रहते हैं। मुझे लगता है कि उन जज साहब ने सबसे बड़ा और अच्छा जजमेंट यह लिया कि उन्होंने इस मामले को उठाने के लिए और किसी को नहीं चुना, बल्कि डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी को चुना। आज मुझे खुशी और गर्व है कि मैं इस डिबेट में, इस discussion का एक पार्ट बन रहा हूँ।

महोदय, मैं यह पहला कानून सुन रहा हूँ, जिसमें जज साहब सुनवाई करेंगे और शिकायत भी करेंगे। वे इसको दर्ज करेंगे। अगर दर्ज नहीं करेंगे, तो पता नहीं उनके लिए इसकी क्या सजा होगी? किसी जज ने कोई एफआईआर की है या नहीं की है, यह एक जिज्ञासा का विषय है। Maybe the House should know कि क्या ऐसा केस और ऐसी एफआईआर हुई है, या ऐसा कोई मौका आया है, जब किसी जज साहब ने बात सुनी हो, उनके संज्ञान में बात आई हो, लेकिन उन्होंने एफआईआर नहीं की हो? हम इसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि इसके कारण उन पर कोई कार्यवाही हुई हो। वह भी एक interesting चीज होगी।

महोदय, एक दूसरी चीज चाइल्ड के बारे में है। कितना बड़ा बच्चा, क्या-क्या अपराध कर सकता है, इस पर भी बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। हकीकत यह है कि छोटे-छोटे बच्चे, जो juvenile की एज ग्रुप में आते हैं ...(समय की घंटी).. वे भी काफी क्राइम करते हैं।

उनके बारे में भी कुछ चिंता करनी पड़ेगी। ...**(समय की घंटी)**... उससे पहले भी कुछ कानून होना चाहिए। ...**(समय की घंटी)**..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

श्री महेश पोद्दार: महोदय, इस कानून में बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन शायद आज के प्रस्ताव के द्वारा नहीं। मैं समझता हूँ कि इस हाउस में हम सभी इस मामले में सरकार से यह सिफारिश कर सकते हैं कि यह एक वास्तविक विसंगति है और इसको दूर करने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने हों, वे जल्दी से जल्दी उठाने चाहिए, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Mahatme, your name came only now. It is very late. Do you want to speak?

DR. VIKAS MAHATME (Maharashtra): Yes, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You may take two-three minutes.

DR. VIKAS MAHATME: Sir, three minutes will be enough.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

डा. विकास महात्मे: उपसभापति महोदय, अभी जो चर्चा हुई, बहस हुई, मुझे इसमें यह कहना है कि जो भी अमेंडमेंट बिल में बताया गया है, वह मेरे ख्याल से सही नहीं है। हमने अभी सुना कि छत्तीसगढ़ में कितनी परेशानियाँ हुईं। कानून होने के बावजूद भी ऐसे cases हैं और वे पुलिस थाने में दर्ज नहीं हो रहे हैं। शिकायत दर्ज होने के लिए बहुत जरूरी है कि जहाँ से भी इंफॉर्मेशन आती है, उसका पुलिस थाने तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। दूसरा, यह कि यदि कोर्ट को पता चल रहा है, जज के संज्ञान में आ रहा है कि ऐसी परेशानी हुई है, अत्याचार हुआ है और फिर भी एफआईआर दर्ज करने के लिए आनाकानी हो, तो यह सही नहीं है। मैंने अभी देखा, उन्होंने 11,000 बच्चों के बारे में सिर्फ बोला, जैसा माननीय मेम्बर ने बताया। न आपके पास कम्प्लेंट थी, न कुछ ऐसा था, लेकिन आपने उसे उठाया और उस पर एक्शन लेने के लिए सब को प्रवृत्त किया, यह जज का काम होता है। डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कहना रहा है कि यदि कोई पत्र आता है, इंडिया से, कहीं से भी जज के पास पत्र आता है या किसी के ख्याल में आता है कि किसी को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, किसी पर अत्याचार हो रहा है, तो खुद भी वे केस एडमिट कर सकते हैं। यह बहुत जरूरी है कि इस बारे में जज बहुत सेंसिटिव रहे कि किसी पर अत्याचार न हो। बालकों पर अत्याचार हो रहे हैं, फिर भी एफआईआर दर्ज कराने में तकलीफ हो रही है, इसलिए वे खुद का काम छोड़ रहे हैं, यह मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सही नहीं है। किसी बड़े से बड़े डॉक्टर को भी, जो ट्रीटमेंट कर रहा है और किसी को इन्ज्युरी हुई है, तो उसे भी पुलिस के सामने अर्ज करना पड़ता है कि यह एक्सीडेंटल केस है और उसको इसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, एफआईआर दर्ज करानी पड़ती है। तो हर प्रोफेशन में परेशानियाँ हैं, लेकिन इसमें बच्चों की परेशानियाँ ज्यादा हैं, उनके ऊपर होने वाले अत्याचार बहुत बड़े-बड़े हैं, जो पुलिस तक पहुंच नहीं रहे हैं। विप्लव मैडम ने भी बताया कि पुलिस की एजुकेशन होनी चाहिए, उनके माइंडसेट बदलने चाहिए। माइंडसेट कब बदलता है? कॉमन आदमी के पुलिस थाने में जाने से उसका माइंडसेट नहीं बदल सकता। जब जज बताएंगे कि यह करना चाहिए,

[डा. विकास महात्मे]

तो माइंडसेट बदलने लगेगा। इसलिए मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी है कि जजेज को इस तरह से देखना चाहिए कि लोगों पर अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं और लोगों की मानसिकता बदलने के लिए कुछ करना है। इसमें उनके खुद जाने की जरूरत भी नहीं रहती है, सिर्फ यह बताना पड़ता है कि इन्होंने जो कंप्लेंट की है, इसे पुलिस थाने में दर्ज होना चाहिए। साल 2012 में इस विषय पर बहुत अच्छी तरह से चर्चा हुई है और मैं मानता हूँ कि कायदा सख्त होना चाहिए, लेकिन इसमें हम अपना एक लूपहोल बना रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इसमें किसी को समर्थन नहीं करना चाहिए, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much. Now, the hon. Minister.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, one minute please. I was present in the House when the Bill was discussed and passed into an Act. I entirely agree with Dr. Mahatme. ये कानून गलती में नहीं बनाए गए। यह कहना गलत है कि गलती हो गई। It was not so. It was not a mistake. It was a conscious decision that was taken. There may be infirmities in the implementation of the law that need to be reviewed. But, I think, the amendment that Dr. Swamy is bringing forward is not going to lead to a proliferation of FIRs on sexual offences against children. If it does, I would welcome it. But, I don't think it will. I think this amendment is most ill-advised.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the hon. Minister.

श्रीमती कृष्णा राज: उपसभापति जी, आज यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी जी ने जो प्रारंभ की, उसके लिए इनको मैं धन्यवाद देती हूँ। इसके साथ ही बहुत से हमारे माननीय सदस्यों, आनंद भास्कर जी, हमारे माननीय सदस्य बसावाराज जी ने अपनी बात कही और साथ ही श्रीमती छाया जी, इन्होंने भी अपना बहुत अच्छा सुझाव दिया और एक बहुत ही संवेदनशील प्रकरण को भी उजागर किया, जो देखने योग्य विषय है। श्री रामकुमार वर्मा जी, जो हमारे माननीय सदस्य हैं, उन्होंने भी अपने सुझाव दिए और मैडम विप्लव जी ने भी बहुत अध्ययन करके अपनी बात रखी। ये सभी सुझाव हमें बहुत ही ज्ञानवर्द्धक लगे। महेश जी ने जैसा बताया कि वास्तव में इसको और संजीदगी और संवेदनशीलता के साथ लेना चाहिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे यह बहुत अच्छा लगा। विकास जी ने भी अपने सुझाव दिए। वास्तव में यह समाज का अभिशाप है। बेटी हो या बेटा, लड़कियां हों या लड़के, दोनों को कैसे सुरक्षित रखा जाए और किस तरह से उनको न्याय दिया जाए, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। सोच में सुधार करना, जन-जागरूकता फैलाना, मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और यह होना ही चाहिए।

सर, मंत्रालय ने वर्ष 2007 में 13 राज्यों का सर्वे कराया था, जिनमें 13 हजार शिकायतें मिली थीं। इनमें से अधिक बच्चों पर दुर्व्यवहार की शिकायतें आई थीं। एक अध्ययन करने के बाद यह तय हुआ कि एक POCSO Act बनाया जाए, जिसमें कानून थोड़ा सख्त हो। उसके तहत 2012 में यह कानून बना। देखा जाए, तो उस समय मंत्रालय ने जो अध्ययन कराया, उसमें 53 परसेंट बच्चे यौन शोषण के शिकार थे। उन्होंने अनेक ऐसे यौन शोषण के रूपों का सामना किया। उनकी बड़ी दयनीय स्थिति थी। उनमें 22 परसेंट बच्चे गम्भीर यौन शोषण के शिकार थे। उन सारे बच्चों

में 50 फीसदी मामलों में अध्ययन से यह तथ्य निकल कर आया कि उस अपराध में कोई घर का या नजदीकी रिश्तेदार ही शामिल था। ऐसे में कौन सी पुलिस की बात की जाए, किस कानून की बात की जाए, यह एक चिंतनीय विषय है।

आज हम सब लोगों में विचार परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब 2012 में POCSO Act बनाया गया था, तो इसमें e-Box के द्वारा यह सुविधा रखी गई कि बेटा हो या बेटा, कोई महिला ऐसा कर रही है या पुरुष ऐसा कर रहा है, यह भी शोषण का कोई पैमाना नहीं है। यह एक विकृत मानसिकता की सोच है। इस कानून के आधार पर काफी सुधार हुआ है। हमारे डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी जी का कहना है कि इसके सेक्शन 19 का लोप कर दिया जाए। यह सेक्शन इस कानून की जान है, आधार है। इसके तहत ही हम कठोर कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें हमें यह सोचना है कि क्या इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, जिनमें हम यह कह सकते हैं कि ऐसे लोग दंडित हो रहे हैं, जिन्हें दंडित नहीं होना चाहिए? मैं यह कहना चाहूंगी कि धारा 19 के तहत यदि कोई व्यक्ति सद्भावना से शिकायत करता है, अच्छे भाव से शिकायत करता है, तो उसके विरुद्ध कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होता और इस तरह से उसको संज्ञान में नहीं लिया जाता, लेकिन यदि कोई बच्चा कहीं शोषित हो रहा है और even छोटा बालक भी उसे देखता है, तो उसकी भी सूचना 24 घंटे के अन्दर दर्ज होनी चाहिए, धारा 19 के तहत ऐसा प्रावधान है। अगर कोई उसके बारे में सुनता भी है, जैसे अगर स्कूल में बच्चे के साथ शोषण हुआ और प्रिंसिपल ने उसको सुना, तो वे भी अपराधी की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि उन्होंने सूचना नहीं दी। इस तरह से अगर हमने उसको देखा भी, सुना भी, तो उसको दर्ज करना ही होगा, ताकि उस बच्चे के साथ इस अपराध की पुनरावृत्ति न हो और उसे ऐसे अपराध से बचाया जा सके। इसलिए यह कानून सबकी जिम्मेदारी बांधता है। मैं यह कहूंगी कि यदि कहीं पर माननीय जज की बात आई है, तो इस तरह से तो डॉक्टर्स भी हैं, वकील भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये सारे queue में लग जाएंगे, लेकिन मैं डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी जी को बताना चाहूंगी कि यदि किसी जज के सामने कोई ऐसा प्रकरण आया हो, तो निश्चित तौर पर हम उस प्रकरण को संज्ञान में लेंगे और अगर मुझे उसकी सूचना देंगे, तो उस पर अवश्य विचार होगा, यह मैं कहना चाहूंगी।

अभी छाया जी बता रही थीं कि छत्तीसगढ़ में 11 हजार बच्चों के साथ अपराध हुआ। सोच कर लगता है कि आखिर वहां क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, कैसी सोच के लोग हैं! बड़ा मायने रखता है कि एक स्टेट में 11 हजार बच्चों के साथ ऐसा अपराध हो, तो यह एक चिंतनीय विषय है। लेकिन, उपसभापति जी, जैसा मैंने कहा, मैं स्वयं वहां के माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखूंगी और उनसे सारी सूचनाओं को एकत्रित करके, आपको जरूर अवगत करवाऊंगी। आपकी शिकायत को ठीक से संज्ञान में ले लिया गया है और इस पर अवश्य ही कार्यवाही की जाएगी।

महोदय, आज पूरे देश में किशोर न्यायालय बना है। हमारे मंत्रालय के द्वारा ई-बॉक्स के अतिरिक्त टोल-फ्री नम्बर भी जारी किया गया है, जिसके माध्यम से हम सूचनाओं को दर्ज करवा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी दूरदराज के क्षेत्र में हो, आदिवासी या पिछड़े क्षेत्र में हो, उस नम्बर पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, यह इस POCSO Act का सबसे बड़ा लाभ है।

दूसरा, हमारा जो ई-बॉक्स लांच हुआ है, उसका एक फायदा यह भी है कि इसमें शिकायतकर्ता की कोई पहचान नहीं होगी, साथ ही शिकायत सुनने वाले की भी कोई पहचान नहीं होगी। जो भी पीड़ित व्यक्ति है, वह अपनी बात को खुले मन से रख सकेगा। किसी व्यक्ति को घबराने की

[श्रीमती कृष्णा राज]

जरूरत नहीं है अथवा यह सोचने की जरूरत नहीं है कि हमको कोई पहचान लेगा, वह निर्भीक होकर अपनी बात को प्रस्तुत कर सकता है।

दूसरा, जन-जागरूकता फैलाने की बात कही गई है, तो हमारे मंत्रालय ने इस बात को बहुत चिंता के साथ, संजीदगी के साथ ध्यान में रखा है। जो बाल शोषण होता है, इसके बारे में कई बार स्वयं उस बच्चे को ही पता नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है? जैसा कि मैंने कहा कि शोषण करने वालों में पचास फीसदी लोग अपने ही परिवार के या बहुत नजदीकी जानकार होते हैं। स्कूलों में आपके पहचानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है। इन पचास फीसदी के अतिरिक्त जो बच्चे होते हैं, उनमें अनाथालयों से लाए हुए अनाथ बच्चे होते हैं या असंगठित क्षेत्र से निकले हुए बच्चे होते हैं, जिनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता है। यह बहुत दुःख की बात है।

हमारे मंत्रालय ने इस बात की चिंता करते हुए, अभी सात महीने पहले, अगस्त में एक 'कोमल' नाम की डॉक्युमेंटरी फिल्म बनाई है, जिसके लिए हम लोगों का प्रयास है कि सभी स्कूलों में छोटे-छोटे बच्चों को उस फिल्म को दिखाया जाए। इसमें 'Good Touch Bad Touch', 'अच्छे भाव से छूना और बुरे भाव से छूना' इसके बारे में फिल्म के माध्यम से बच्चों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। इस तरह हमारे मंत्रालय के द्वारा जन-जागृति के अभियान चलाए जा रहे हैं।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि JJ Act के तहत बच्चों को कैसे न्याय दिलाया जाए? जहां हमारे किशोर न्यायालय नहीं हैं, वहां के लिए हम यह कह सकते हैं कि आस-पास हमारे जो निकटवर्ती स्थान हैं, जहां पर बच्चों की देख-रेख हो सकती है, वहां पर इसकी सूचना दी जा सकती है। हमारे मंत्रालय के द्वारा इसका इस तरह से प्रचार-प्रसार हो रहा है, जिससे आप पूरे देश में कहीं पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। फिर पूछा गया है कि शिकायत दर्ज करने के बाद अगर वे लोग शिकायत दर्ज करने वाले के ही शिकार हो जाएं, तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए तो मैं कहूंगी कि निश्चित तौर पर जन-जागृति लाने और सोच में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। मैं तो यह कहूंगी कि इस विषय पर खुलेआम चर्चा होनी चाहिए, ताकि लोगों को मालूम हो सके कि हमारे इर्द-गिर्द रह कर ऐसे लोग हमारा शोषण कर रहे हैं। इससे शोषण करने वाला वाला भी सजग होगा और जो शोषित बच्चा है, वह भी निर्भीकता से अपनी बात को कह सकेगा। हम यह मान सकते हैं कि इससे, कहीं न कहीं इस प्रकार के अपराधों में गिरावट आएगी। आज सबसे जरूरी यह है कि समाज की सोच में परिवर्तन लाया जाए।

इस संबंध में अभी हमारे मंत्रालय ने यह कोशिश भी की है कि देश भर में जो 14 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो दूर-दराज में बैठी हुई हमारी महिलाएं हैं, उनके माध्यम से नुक्कड़ नाटक इत्यादि के द्वारा, विचारों में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके माध्यम से वे लोगों को बताते हैं कि कैसे अपने बेटे-बेटे को बचाया जाए या कौन लोग ऐसे हैं, जो आपके बच्चों पर घात लगाकर, उनका शोषण करने के लिए बैठे हुए हैं। आने वाले समय में इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट सामने आएंगे। पूरे सदन से मेरी विनती है कि हम लोग जहां पर भी हैं, इसके लिए अपनी ओर से प्रयास करते रहें। हम सिर्फ कानून, धारा और नियम के तहत ही न चलें, बल्कि

विचारों में परिवर्तन लाने की बात रखें, तो शायद हम उन छोटे-छोटे बालकों के भविष्य को बचा सकेंगे। महोदय, Section 20 को हटाने या लोप करने की जो बात कही जा रही है, तो उस बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि हमने अपराधों को तीन भागों में बांटा है- एक गंभीर अपराध, दूसरा गंभीरतम अपराध और तीसरा जघन्य अपराध। अगर इस section को हटाते हैं, तो शायद जो शोषित बच्चा है, उसके मन और मस्तिष्क पर बहुत गहरा आघात पहुंचेगा और आगे चलकर वह इस देश का विक्षिप्त नागरिक बनकर निकलेगा। इसलिए मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगी और आग्रह करूंगी कि अगर किसी जज ने इस बारे में ऐसा कोई निर्णय दिया है, तो उससे हमारे मंत्रालय को अवगत कराया जाए। हमारे मंत्रालय को अभी तक इस बात की कोई सूचना नहीं है। यदि आप हमारे मंत्रालय को इससे अवगत कराएंगे, तो निश्चित रूप से Section 20 के ऊपर न्यायाधीशों के साथ जो विरोधाभास हो रहा है, उस पर विचार करेंगे। मैं माननीय सदस्य को इतना आश्वासन देती हूँ, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much. Dr. Swamy, would you like to reply?

DR. SUBRAMANIAN SWAMY: Sir, I will take only two minutes. Mr. Deputy Chairman, Sir, I am very thankful to this House for giving 75 minutes to this debate. The fact is that most have supported the principle behind what I had brought in. I am not saying that if a judge happens to witness a crime against a juvenile or a woman, that judge is not obliged to go and report to the police. I am not talking about that. I am talking about the discouragement of judges willing to sit on such cases as the most.. *...(Interruptions)...* that, incidentally, these allegations are made.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is very clear.

DR. SUBRAMANIAN SWAMY: I am very thankful to the hon. Minister for saying that if I have these instances, I should bring it to the notice of the Ministry and that they will then consider about bringing an amendment, in the form of an assurance. If it is recognised as an assurance that.. *...(Interruptions)...* मैं हिन्दी में बोल देता हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can withdraw. *...(Interruptions)...* Let him finish.

श्रीमती कृष्णा राज: माननीय उपसभापति जी, मैं कहना चाहूंगी कि हमारे मंत्रालय को ऐसी कोई सूचना नहीं है। अगर कोई हमारे मंत्रालय को इस बारे में सूचित करता है, तो उसे जरूर देखेंगे, विचार करेंगे कि वह क्या है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी: उपसभापति महोदय, यदि मंत्रालय को इस बारे में सूचना दी जाती है, तो फिर मंत्री महोदय को इस बारे में संशोधन के लिए भी तैयार रहना चाहिए, यदि वे ऐसा आश्वासन देती हैं, तो मैं अपने संकल्प को वापस लेने पर विचार कर सकता हूँ। *...(व्यवधान)...*

श्री जयराम रमेश: वे ऐसा नहीं कह रही हैं। *...(व्यवधान)...*

DR. SUBRAMANIAN SWAMY: I am not asking you. I am asking the Minister. Okay. Don't be a busybody. *...(Interruptions)...* I am only saying that. *...(Interruptions)...* Are you speaking on behalf of the Minister? *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You address the Chair. *...(Interruptions)...* You address the Chair.

DR. SUBRAMANIAN SWAMY: I think he is itching to come to our side. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You address the Chair. *...(Interruptions)...*

DR. SUBRAMANIAN SWAMY: Maybe, he has nothing to do there. *...(Interruptions)...* I made a simple point. The simple point is that the judge performing a duty. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is clear. It is very clear.

DR. SUBRAMANIAN SWAMY: And she says that their Mantralaya has no information. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will tell you.

DR. SUBRAMANIAN SWAMY: I will provide the information and name of the judges who urged me to take this matter up so that they can interact with them. But, if they have got these cases, then they should be open to an amendment of Section 19 to exempt these kinds of authorities, who as a duty are performing and, therefore, incidentally, should not be dragged into. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is very clear.

DR. SUBRAMANIAN SWAMY: This will be an assurance which is recorded and, therefore, on that basis. *...(Interruptions)...* Sir, he wants to say something.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Can you give an assurance.

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी): माननीय उपसभापति महोदय, ऑनरेबल मैम्बर ने बहुत अच्छा इश्यू उठाया है और उस पर बहुत अच्छी तरह से चर्चा हुई है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He wants an assurance.

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: ऑनरेबल मैम्बर ने जो कुछ भी इश्यूज उठाए हैं, उन पर ऑनरेबल मिनिस्टर ने बहुत विस्तार से जवाब दिया है और यह भी कहा है कि इस बारे में जब भी हम अपनी मिनिस्ट्री में चर्चा करेंगे, तो इसे ध्यान में रखेंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. That is not enough. ...(Interruptions)...
Hon. Minister, please.. ...(Interruptions)...

श्रीमती कृष्णा राज: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि जजेज़ इस बारे में कहते हैं कि यह प्रथमदृष्टया अपराध है, तो उसमें मां दोषी हुई और अगर मां ने जजेज़ से या किसी से भी शिकायत की, तो सबसे पहले तो उसे ही करना चाहिए। इसलिए एक file maintain कर सकते हैं कि सबसे पहली दोषी तो मां ही है। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Hon. Minister, listen here. Dr. Subramanian Swamy said that he will give you the details of such cases. He will give you the instances. If you get those details, are you ready to consider them? Say, 'yes' or 'no'. That is all he is asking.

श्रीमती कृष्णा राज: माननीय उपसभापति जी, जब माननीय सदस्य details देंगे, तो उस पर चर्चा के बाद, जो निकल कर आएगा, तो उस पर विचार होगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, now you can agree to withdraw.

DR. SUBRAMANIAN SWAMY: In view of this latest assurance, I have no hesitation. ...(Interruptions)... वे शायद आश्वासन से डरती हैं। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: With my prompting! Subramanian Swamyji, assurance with my prompting!

DR. SUBRAMANIAN SWAMY: I am most obliged to the Deputy Chairman for bringing this discussion to a harmonious conclusion. In view of what the Minister has said, I will certainly meet the officials of the Ministry and give them all the details, and they have agreed to take action on it. On that basis they will consider an amendment, if necessary, and on the basis of that, I am withdrawing my Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Does Dr. Subramanian Swamy has the leave of the House to withdraw his Bill?

SOME HON. MEMBERS: Yes.

The Bill was, by leave, withdrawn.

The Constitution (Amendment) Bill, 2016
(Amendment of the Eighth Schedule)

SHRI B. K. HARIPRASAD (Karnataka): Sir, I move:

That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration.

Mr. Deputy Chairman, Sir, at the outset, I would like to thank His Excellency, President of India for approving my Bill. This Bill includes two ancient languages